

पत्रांक:- AP-2/07/2022-.....

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

ई० सुधांशु शेखर राय,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-.....2023

विषय:- Related to Internship/Industrial Training/Summer Entrepreneurship के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक:-19.12.2022 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजकीय एवं निजी पोलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को 5th सेमेस्टर में एक माह के Summer/vocational/Internship Training से संबंधित बैठक हुई थी, बैठक में पोलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। GOVT. POLYTECHNIC, PURENA, SADAR, MAHARAJGANJ, UP से Internship अनुसंशा आयी है अनुसंशा एवं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न छात्र को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के संबंधित भवन प्रमंडल के अन्तर्गत चल रहे Projects से जुड़कर प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है।

S. No.	Name of Student	Roll No, PAR & Registration	Name of College	Reference No.
1.	Aditya Kumar Shrivastava	E21483532200026	GOVT. POLYTECHNIC, PURENA, SADAR, MAHARAJGANJ, UP	CE/17/ टी०पी०ओ०/औ०प्रशि० 2023-24 दिनांक:- 26.07.2023

2. संबंधित कार्यपालक अभियंता प्रशिक्षु छात्रों को पहचान सत्यापन के पश्चात्त प्रशिक्षण करायेंगे।

3. छात्रों को योगदान करने एवं आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का टी०ए०/डी०ए० का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इन्हे नियमित कर्मियों की भाँति अन्य कोई सुविधाएँ एवं भत्ता देय नहीं होगा।

4. छात्रों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा के सभी मानकों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की हानि एवं दुर्घटना होने की स्थिति में विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

5. छात्रों के ऊपर प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का आरोप/अनियमितता/दुर्व्यवहार की स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण से तत्काल निष्काषित करते हुये संबंधित शैक्षणिक संस्थान को सूचित किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् विभाग में नियमित अथवा संविदा नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदपि प्रशिक्षण अवधि का परियोजना का नाम एवं अन्य brief प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र Description of Projects के साथ संबंधित प्रशिक्षुओं को एक प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

अनु०:- अनुरोध पत्र की प्रति।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(ई० सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

पटना, दिनांक:-.....2023

ज्ञापांक:-.....

प्रतिलिपि:- निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह०/-

(ई० सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

पटना, दिनांक:-.....6/11/2023

ज्ञापांक:-.....9031 (मि)

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ई० सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

3/11/23